कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/कक्ष–4/285 भोपाल, दिनांक 12/2/2001

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषयः– बजट मद 3877– संभागीय वनमण्डल 02 मजदूरी 004 अग्नि सुरक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2000–2001 हेतु पुनरीक्षित बजट आवंटन।

———o———

विषयांर्तगत कार्यालयीन पत्र क्रमांक निस 278, दिनांक 10.2.2001 निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त विषय में चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में आवंटित समस्त बजट आवंटन को निरस्त करते हुए पुनरीक्षित आवंटन संलग्न पत्रक के अनुसार किया जाता है ।

वन संरक्षक अपने वन मंडलाधिकारियों की बैठक बुलाकर उनसे चर्चा कर वन मंडलवार बजट आवंटन एक सप्ताह में कर देंगे । इसी प्रकार इस पत्र में दर्शाये दिशा निर्देशों के आधार पर वन संरक्षक द्वारा निर्धारित नार्मस के अनुसार वन मंडल अधिकारी परिक्षेत्रवार बजट आवंटन कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

राष्ट्रीय उद्यानों/ अभ्यारण्यों हेतु मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को 1.10 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है । अतः राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्यों हेतु बजट आवंटन उनके द्वारा अलग से किया जायगा ।

कृपया आवंटन सीमा में ही यह राशि व्यय करें । आवंटन से अधिक व्यय हेतु संबधी अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे ।

अग्नि सुरक्षा बजट आवंटन व कार्य के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

1. वनमण्डलाधिकारी अपने क्षेत्र के वनों की सुरक्षा योजना तैयार कर वन संरक्षक से अनुमोदित करायेंगे । यह योजना कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर तैयार की जायगी

चूंकि अब फायर सीजन प्रारंभ होने ही वाला है अतः अग्नि सुरक्षा योजना तत्काल तैयार की जाकर उसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

2. अग्नि सुरक्षा कार्य समितियों के माध्यम से कराया जाय। जहां समिति नहीं है अथवा समिति अग्नि सुरक्षा कार्य करने को तैयार नहीं होती, वहां अग्नि सुरक्षा कार्य विभागीय रूप से कराये जायें।

वन संरक्षकों द्वारा अपने वृत्त में उन्हें आवंटित राशि का आवंटन प्रभार के क्षेत्रीय वनमण्डलों व राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों हेतु निम्न आधारों पर किया जायगा –

1– आवंटन की तीन प्रतिशत राशि प्रशिक्षण हेतु रखी जायगी । प्रशिक्षण की राशि वन मंडल स्तर पर रोकी जाकर वनमंडलाधिकारी उनके वनमंडल में अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर उसके संचालन पर व्यय करेंगे ।

2– कुल आवंटन की दो प्रतिशत राशि प्रचार–प्रसार व आकस्मिक कार्यों हेतु वन मंडल स्तर पर रोकी जायगी जिसका उपयोग वन मंडलाधिकारी व्दारा अग्नि सुरक्षा के प्रति आम जनता में साइन बोर्डों से प्रचार–प्रसार, पेम्फलेट व अन्य प्रचार माध्यमों से आम लोगों में जागरुकता लाने हेतु किया जायगा । इसके लिए वनमंडलों में उपलब्ध पुराने बोर्डो को पुतवाकर उनमें आग से वनों को होने वाले नुकसानों का विवरण तथा बचाव संबंधी सावधानियां लिखी जायेंगी । इस हेतु नये बोर्ड नहीं खरीदे जायेंगे । इसी प्रकार अग्नि सुरक्षा पेम्फलेट छपवाकर तथा स्थानीय टी0व्ही0 चैनल व समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दिये जा सकते हैं । बोर्डो पर लिखे जाने वाली विषय वस्तु तथा पेम्फलेट का नमूना संलग्न है । इसमें आप अपने विवेकानुसार संशोधन कर सकते हैं ।

3. शेष बजट की 75 प्रतिशत राशि सघन वन क्षेत्रों तथा 25 प्रतिशत राशि विरल वन क्षेत्रों में आवंटित की जायगी । स्थानीय परिस्थितियों में वन संरक्षक इसमें परिवर्तन भी कर सकते है।

4– कार्य योजना के अनुसार फायर लाइन, कटाई व सफाई का कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा समिति के माध्यम से कराई जाय तथा वन संरक्षक व्दारा अनुमोदित जाब दर के भुगतान समिति को दे दिया जाय ।

5– शेष राशि समितियों को अग्नि सुरक्षा करने तथा प्रोत्साहन के रुप में दी जायगी ।
यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रमांक 5 की राशि समितियों के खाते में ही जमा की जायगी । अतः पूरे क्षेत्र में (अच्छे वन क्षेत्र में अनिवार्यतः) समिति गठन किया जाना आवश्यक है । अतः समिति गठन का कार्य तत्काल करायें । यदि यह संभव न हो तो 28.2 तक फैक्स/वाहक द्वारा अवगत करायें ताकि शेष राशि का उपयोग अन्यंत्र किया जा सके ।

4 राशि समितियों के कोष में जमा की जायगी और यह राशि तभी निकाली जायगी जब यह प्रभाणित हो जायगा कि समिति के वन क्षेत्र में आग नहीं लगी है और यदि लगी है तो समिति व्दारा इस संबंध में पूरी सावधानी बरती गई है तथा आग लगने पर उसे बुझाने का त्वरित पूरा प्रयास किया गया है ।

5. इस संबंध में समिति के साथ एक अनुबंध(एम0ओ0यू0) किया जायगा जिसका प्रारुप आपको अलग से भेजा जायगा ।

6. पूर्व में वानिकी परियोजना के अन्तर्गत व्ही0आर0डी0पी0 तथा ए0एन0आर0 समितियों को सुरक्षा राशि अग्रिम रुप में समितियों के खाते में जमा कराई गई है । अतः उन समितियों को अलग से अग्नि

सुरक्षा की राशि नहीं दी जानी है किन्तु ऐसी समितियों को इस संबंध में स्पष्ट हिदायतें दी जाये कि उनके समिति क्षेत्र में वनों की आग से सुरक्षा उस समिति का दायित्व है और उसमें यदि आग लगी तो उनको दी हुई राशि में कटोती की जायेगी/वापस ली जावेगी ।

7. समितियों को उपलब्ध बजट निम्न प्राथमिकताओं के अनुसार समिति क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जायगा –

1–वन ग्रामों की समिति – तीस हजार

2–नयसाली प्रभावित क्षेत्र – बीस हजार

यदि इन समितियों को पूर्व में (व्ही आर डी पी/ए एन आर में)राशि दी गई हो तो भी उन्हें यह राशि दी जायगी ।

3–नयी समितियां जहां पूर्व में इन समितियों को बहुत कम राशि उपलब्ध हो पाई है

4–अन्य समितियां जिनमें पूर्व से पर्याप्त राशि जमा है–

उपलब्ध बजट से क्षेत्र के आधार पर क्रमांक 3 व 4 को जोड़ कर राशि इस प्रकार बांटी जाय कि क्रमांक 3 की समितियों को क्रमांक 4 की समितियों से 50 प्रतिशत राशि अधिक मिले । उदाहरणार्थ यदि क्रमांक 3 की 10 समितियां और क्रमांक 4 की 10 समितियां हो और कुल उपलब्ध राशि 1 लाख हो तो क्रमांक 3 की समितियों को 6 हजार तथा क्रमांक 4 की समितियों को 4 हजार प्रति समिति राशि उपलब्ध करायी जायगी ।

राशि 25 फरवरी 2001 तक समितियों के खाते में जमा करा दी जाय ।

8. वनों में आग लगने का एक महत्वपूर्ण कारण महुआ सीजन में वृक्ष के नीचे पत्तों को जलाना होता है। इस हेतु योजना बनाई जाय और वनों के बाहर व वन क्षेत्र के अन्दर महुआ के वृक्षों के नीचे पत्तों को साफ करवाने का अभियान चलाया जाय।

9. वनों की आग से सुरक्षा वनों के संवर्द्धन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अतः इस कार्य को पूरी निष्ठा से अंजाम दिया जाय और इसमें वायरलेस तथा अन्य सभी साधनों का भरपूर उपयोग किया जाय ।

10. आशा है वनों के संरक्षण के प्रति अपने इस महत्वपूर्ण दायित्व को आप गंभीरता से लेंगे तथा अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को इस संबंध में हिदायतें देंगे और स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त कर वनों की आग से सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे ।

मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
म0प्र0 भोपाल